



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230660
CG-DL-E-23102021-230660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3995]
No. 3995]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ ASVINA 28, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4345(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में, संख्या का.आ. २१०३ (अ), दिनांक २५ जून, २०२०, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड ३, उप खंड (ii), दिनांक २५ जून, २०२० में प्रकाशित, अर्थात्:- उक्त अधिसूचना की अनुसूची में जिला रायचूर से संबंधित क्रमांक 2 के समक्ष; कॉलम 2 में, एस एल ए ओ, एन.एच.ए.आई, यादगिरी प्रविष्टि के स्थान पर एस एल ए ओ, एन.एच.ए.आई, रायचूर प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा .सं. एनएचएआई/आरओ-बीएनजी/केएनटी/जीएलबी/3ए/एके/कार]

राजेश गुप्ता, निदेशक

फुट नोट:- मूल अधिसूचना का.आ. २१०३ (अ), दिनांक २५ जून, २०२० को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii), दिनांक २५ जून, २०२० में।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 20th October, 2021

S.O. 4345(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 2103(E), dated 25th June 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), dated 25th June 2020, namely:- In the Schedule to the said notification, against serial number 2 relating to District Raichur; in column 2, for the entry SLAO, NHAI, Yadgiri the entry SLAO, NHAI, Raichur shall be substituted.

[F. No. NHAI/RO-BNG/KNT/GLB/3a/AK/Corr]

RAJESH GUPTA, Director

Foot Note:- The Principal notification was published vide S.O. 2103(E), dated 25th June, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), dated 25th June 2020.